

Public Notice

In compliance to the Section 62, 86 of the Electricity Act, 2003 and applicable Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations, M/s. TRN Energy Private Ltd. has filed a Petition before the CSERC for the determination of variable cost for FY 2016-17 to 2023-24 and other reimbursable expenses from its 2×300 MW coal based thermal power plant located at Nawapara Tenda, Dist.-Raigarh (CG) supplying five percent (5%) of net generated power at variable cost to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited . This petition is registered as petition no.85 of 2024.

In the petition, M/s. TRN Energy Private Ltd. has requested the Commission to approve energy charge rate of INR 2.07/kWh for FY 2016-17, INR 2.04/kWh for 2017-18, INR 2.20/kWh for FY 2018-19, INR 2.00/kWh for FY 2019-20, INR 1.94/kWh for FY 2020-21, INR 1.66/kWh for FY 2021-22, INR 1.87/kWh for FY 2022-23 and INR 1.86/kWh for 2023-24 along with reimbursable expenses.

Persons intending to file objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or copy to Head (Electrical), M/s. TRN Energy Private Ltd. Nawapara Tenda, Dist.-Raigarh (CG), Email – sk.sahoo@trnenergy.com within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 500/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 100/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

Suresh Kumar Sahoo
Head (Electrical),
M/s. TRN Energy Private Ltd.

आमसूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व अवधारणा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम के अनुपालन में विद्युत उत्पादन कंपनी मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्रा. लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष के वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को विक्रय किए गए ऊर्जा की ऊर्जा प्रभार दर और प्रतिपूर्ति योग्य खर्चों के अनुमोदन हेतु याचिका दायर की गई है। यह याचिका, ग्राम नवापारा टेण्डा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) स्थित कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लान्ट जो कि नेट जनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत पॉवर सी.एस.पी.डी.सी.एल. को आपूर्ति कर रहा है, से संबंधित है। इस याचिका को 85/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्रा. लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रु.2.07/kWh, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु. 2.04/kWh, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 2.20/kWh, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 2.00/kWh, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रु. 1.94/kWh, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु. 1.66/kWh, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु. 1.87/kWh तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 1.86/kWh के ऊर्जा प्रभार दर के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति, इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर-492001, ईमेल: cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष एवं/या प्रमुख (विद्युत) मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्रा. लिमिटेड, ग्राम नवापारा टेण्डा, जिला रायगढ़ (छ.ग.), ईमेल: sk.sahoo@trnenergy.com पर भेजी जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रुपये 500/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांय: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 100/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन-सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

सुरेश कुमार साहू,
प्रमुख (विद्युत)
मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्रा. लिमिटेड